देश में एक साथ चुनाव से देश का होगा विकास : सुनील बंसल

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने मंगलवार को जयपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को लेकर युवा, छात्र एवं नवमतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। जेएलएन मार्ग स्थित पंचायती राज संस्थान के सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बंसल ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होते है तो देश में राजनीति कम होगी और देश का विकास ज्यादा होगा। दीर्घकालीन सरकारों पर केवल विकास का ही दबाव होगा, युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और देश में परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक वैमनस्यता कम होगी और वर्क परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है, लेकिन पिछले 30 सालों से लगातार हर साल चुनाव प्रक्रिया चलने से देश के मतदाता में कहीं ना कहीं निरसता आई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीबन 40 प्रतिशत लोग मतदान ही नहीं कर रहे लेकिन एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव कराने और इसी दौरान 100 दिनों में अन्य निकायों के चुनाव संपन्न कराने से मतदाता की निरसता भी दूर होगी और एक स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र की ओर देश बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर बार बार चुनाव कराने से आर्थिक बोझ भी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा नई व्यवस्था नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने युवा, छात्र एवं नव मतदाता संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव महत्वपूर्ण कदम है। देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए और व्यर्थ के खर्चे से बचने के लिए हम सभी को एक मुखी होकर इस जन जागृति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देश के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव जाना चाहिए। यह अभियान सर्वव्यापी अभियान बनाना चाहिए। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में कार्य कर रहे है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक राज्य, एक चुनाव की अवधारणा पर कार्य कर रहे है।

एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। भार्गव ने कहा कि देश में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 129वां विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के पक्ष में है लेकिन सांसदों की मांग पर इस विधेयक को

- **विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव महत्वपूर्ण कदम : मदन राठौड़**

जेपीसी में भेजा गया, जहां पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने बताया कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा।

संवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कल्पना देवी, भाजपा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, जयपुर देहात जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर सहित भाजपा के पदाधिकारी, मोर्चा, विभाग और प्रकोष्ठ के संयोजक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पशु चिकित्सा अधिकारियों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण

जयपुर। पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों को जहर से पशुओं की मौत और जहर के फॉरेंसिक पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिटिंग और पशुपालन मामलों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे बैच का दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हुआ। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के चार बैचों में प्रदेश के कुल 400 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान तथा वन विभाग की भी सहभागिता रही। चार चरणों में यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार की असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज (एस्केड) योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। आज तीसरे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन अवसर पर संयुक्त निदेशक डॉ लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एस्केड योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु टीकाकरण, टीका उत्पादन तथा रोग निदान की सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक हानि से बचाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पशुओं के दुर्घटना के दौरान सैंपल लेने, पोस्टमार्टम में ली जाने वाली सावधानियां पर विशेषज्ञ विभिन्न सत्रों में अपने अपने विचार रखे।

हर्षोल्लास से देश-विदेश में मनाएं राजस्थान दिवस : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को उनके निवास पर राजस्थानी उद्यमियों के साथ संवाद किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से देश और विदेश में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल्ल प्रतिपदा (30 मार्च) को हर्ष और उल्लास से मनाने का आह्वान किया है।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थानी उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सनातन संस्कृति को सम्भ्मान देते हुए इस बार से राजस्थ्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचाग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकारराजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर सप्ताहभर (25 से 31 मार्च) प्रदेश में कई आयोजन कर विभिन्न वर्गों को सौगात दे रही है। इसी क्रम में राजस्थान दिवस पर देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन भी किया जाएगा।उन्होंने उद्यमियों से प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर देश के अन्य राज्यों एवं विदेश के कई शहरों में राजस्थान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।

बैठक में उद्यमियों ने राजस्थान दिवस के संबंध में मुख्यमंत्री को सुझाव प्रस्तुत किए और उन्हें वृहद् स्तर पर इस तरह का ऐतिहासिकआयोजन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा सहित संबंधित अधिकारी एवं राजस्थानी उद्यमी उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के पैतृक ग्राम जमालपुर पहुंचकर उनके पिता स्व. कदम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। देवनानी ने यादव और परिवारजन के प्रति अपनी गहरी संवेदनायें व्यक्त की। देवनानी ने स्व. सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने दिवगंत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को शक्ति प्रदान करने के लिये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद थे।

आई.ए.एस. को पेश होकर माफी मांगने के आदेश

हाईकोर्ट ने तीन साल तक आदेश की पालना नहीं करने पर अधिकारियों को तलब किया है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता को करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने के संबंध में अदालती आदेश की करीब तीन साल तक पालना नहीं करने के मामले में आईएएस भवानी सिंह देथा, तत्कालीन कॉलेज आयुक्त शुचि त्यागी और संयुक्त कॉलेज शिक्षा आरसी मीणा को 28 मार्च को तलब किया है। अदालत ने तीनों अधिकारियों को कहा है कि यदि उनकी ओर से व्यक्तिश पेश होकर अवहेलना के लिए खेद प्रकट कर भविष्य में अदालती आदेशों के प्रति आदर और शीघ्र पालना का आश्वासन दिया जाता है तो अदालत उनके प्रति उदारता बरत सकता है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. डीसी डूडी की अवमानना याचिका पर दिए।

अदालत ने कहा कि मामले में कठोर रुख अपनाने पर आदेश की 18 घंटे में पालना हो गई, जबकि यह पालना तीनों अधिकारी बिना अदालती हस्तक्षेप भी कर सकते थे। लोक सेवक के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ जाता है। अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति निष्क्रिय रहे और निरंतर

- **कॉलेज व्याख्याता को करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने के संबंध में अदालती आदेश की पालना नहीं करने का मामला**

अवमानना करते रहे तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस मामले में अधिकारियों ने पालना कर अपना बचाव कर लिया है, लेकिन लंबे समय तक पालना नहीं करने को लेकर अदालत उन्हें दंडित कर सकती है। ऐसे में अदालत में पेश होकर बताए कि क्यों न उन्हें अर्थदंड से दंडित किया जाए।

याचिका में अधिवक्ता अजय चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेज व्याख्याता पद पर कार्यरत था। करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देते समय उसकी ओर से पूर्व में दूसरे राज्य में दी गई सेवा अवधि को नहीं जोडा गया। इस पर हाईकोर्ट ने 5 मई, 2022 को याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी सितंबर, 2023 में राज्य सरकार को राहत नहीं मिली।

इसके बावजूद अदालती आदेश की पालना नहीं की गई। गत सुनवाई को अदालत की ओर से कठोर रुख अपनाने पर राज्य सरकार ने आदेश की पालना 18 घंटे में कर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रिकॉर्ड पेश कर बताया कि भवानी सिंह देथा के खिलाफ 46 अवमानना याचिकाएं लंबित हैं।

214 ए.एन.एम. के नियुक्ति आदेश जारी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण कर उन्हें राहत दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 214 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि ए.एन.एम. भर्ती-2023 के अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष जनसुनवाई में उपस्थित होकर शेष चयनित 214 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी करने का निवेदन किया गया था। ए.एन.एम. भर्ती-2023 हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 4847 पदों हेतु आवेदन प्राप्त किये गये थे। अंतिम परिणाम जारी होने के उपरान्त विभिन्न कारणों से 214 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाये थे।

समरावता कांड की जांच एडिशनल एसपी को सौंपने की जानकारी दी

जयपुर। देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को हुए उप चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड मारने की घटना के बाद समरावता में ग्रामीणों के खिलाफ हुई कार्रवाई की सीबीआई जांच की गुहार मामले में राज्य सरकार ने अनुसंधान को लेकर अदालत को जानकारी दी है। राज्य सरकार ने कहा कि पहले मामले की जांच डीएसपी रघुवीर सिंह कर रहे थे। अब जांच एडिशनल एसपी मोटाराम बेनीवाल को सौंप दी है। राज्य सरकार के इस जवाब का याचिकाकर्ता ने विरोध किया और जांच सीबीआई को भेजने का आग्रह किया है। जिस पर जस्टिस वीके भारवानी ने प्रार्थी पक्ष से कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार का जवाब आने दें। इसके साथ ही अदालत ने दिलखुश मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई टाल दी।

याचिका में कहा गया है कि ग्रामीण शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने अत्याचार कर पत्थर फैंके। कार्रवाई करने के बजाय पुलिस से उनके खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। ऐसे में मामले की जांच हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई से करवाई जाए।

हाईकोर्ट को गुमराह करने पर याचिका खारिज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि का कब्जा दिलाने से जुडे मामले में दायर याचिका को कडी टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर याचिकाकर्ता महिला पर 25 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि हर्जाना राशि बहरोड उपखंड अधिकारी को जमा कराई जाए, ताकि इसे संबंधित पक्षकारों को दी जा सके। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश मूर्ति नामक महिला की याचिका को खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि विवादित भूमि बैंक के पास गिरवी है और स्थानीय सिविल न्यायालय ने मामले में यथास्थिति का आदेश भी दे रखा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अदालत को गुमराह करते हुए याचिका में सरकारी अधिकारियों को ही पक्षकार बनाया है। याचिकाकर्ता ने उस व्यक्ति को ही पक्षकार नहीं बनाया, जिसका वास्तविक कब्जा भूमि पर है। अदालत ने कहा कि मामले में दूसरी एकलपीठ के आदेश देने के बावजूद कब्जाधारी व्यक्ति को

- **25 हजार रुपए का लगाया हर्जाना भी**

पक्षकार नहीं बनाया गया। अदालत ने कहा कि यह प्रकरण हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिसे याचिकाकर्ता ने विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए गलत और दूषित कानूनी सलाह के तहत दायर किया है।

याचिका में कहा गया कि उपखंड अधिकारी, बहरोड ने 11 अक्टूबर, 2022 को आदेश जारी कर संबंधित भूमि को लेकर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि का कब्जा सौंपा जाए। सुनवाई के दौरान मामले में जुडे अधिवक्ता अश्विन गर्ग ने अदालत के सामने लाया कि याचिका में अदालत को गलत जानकारी दी गई है और भूमि पर वास्तविक कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस पर अदालत ने याचिका को हर्जाने से साथ खारिज कर दिया है।

आयुर्वेद निदेशक का वेतन रोकने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढाकर 62 साल करने को लेकर दिए आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मामले में 13 जुलाई, 2022 को दिए आदेश की पालना होने तक आयुर्वेद निदेशक का वेतन रोका जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र कुमार गुप्ता व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि जो आयुर्वेद चिकित्सक 62 साल पार कर गए हैं, उन्हें परिलाभ दिए जाए और जो इस आयु के भीतर है, उन्हें सेवा में लिया जाए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता नितेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट ने 13 जुलाई, 2022 को आदेश जारी कर आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट

- **आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का मामला**

उम्र को साठ से बढाकर 62 साल किया था। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट जाने पर अदालत ने 30 जनवरी, 2024 को हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। अवमानना याचिका में कहा गया कि दोषी अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने पर दंडित किया जाए और आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आदेश की पालना होने तक आयुर्वेद निदेशक का वेतन रोकने का आदेश देते हुए अन्य निर्देश दिए हैं।

राणा सांगा के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ता मैदान में

जयपुर। महाराणा सांगा राजस्थान ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष के आदर्श हैं। प्रत्येक भारतीय उन्हें महापुरुष के रूप में पूजते है। राणा सांगा के युद्ध में 80 घाव होने के बावजूद भी अपने अदम्य पराक्रम से शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे वीर योद्धा को एक कुण्ठित मानसिकता व विशेष समुदाय के वोटों की तुच्छ राजनीति हेतु उन्हें समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा अपमानित किया गया, जिससे की हिंदुस्तान के आमजन की भावनाएं आहत हुई है और समाज के सभी वर्गों में बहुत भारी रोष व्याप्त है।

भारतवर्ष के ऐसे वीर महापुरुष का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के प्रण के साथ जयपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष अमित गोयल के नेतृत्व में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के पांचों मंडल अध्यक्ष जयंत कुमावत, अशोक शर्मा, विनोद सैनी, मालसिंह शेखावत, राकेश अग्रवाल सहित सभी भाजपा के पार्षदगण, वरिष्ठ-कनिष्ठ नेता व विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने राव शेखा सर्कल चोमू पुलिया पर सांय 5:30 बजे आमजन में व्याप्त रोष और आक्रोश के कारण पद के नशे में चूर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि आज भी हमारे देश में ऐसी हल्की मानसिकता के लोग हैं जो अपने आप को चर्चा में लाने व समुदाय विशेष के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए संपूर्ण देश में जिनका सम्मान है ऐसे महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूकते, हमेशा समाज, राष्ट्र और सनातन विरोधी विरोधी बाते करते है, देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का देश में विरोध होना बहुत आवश्यक हैं जिसके तहत आज ऐसे निकृष्ट और दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति का पुतला दहन किया गया। देश की जनता ऐसे देश विरोधी लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी।

सपा सांसद के खिलाफ जयपुर में मामला दर्ज

जयपुर। राणा सांगा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। इस शिकायत में सनातन अधिवक्ता मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया गया है कि सांसद ने महाराणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे समाज की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

अधिवक्ता मंच का कहना है कि महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के महान योद्धा रहे हैं, और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है।